

तीव्र डाक/वेबसाइट/दस्ती

सं. : सं. एवं प./2927/क्षे.प्र.के./2016-17
कार्यालय र.ले.प्र.नि. (म.क.)
लखनऊ कैंट-226002
तारीख: 07.10.2016

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

- | | |
|---|--|
| (1) वेतन लेखा कार्यालय, आर. आर. सी. फतेहगढ़ | (5) वेतन लेखा कार्यालय, 11 जी.आर.आर.सी. लखनऊ |
| (2) वेतन लेखा कार्यालय, ए.एम.सी. लखनऊ | (6) वेतन लेखा कार्यालय, 39 जी.टी.सी. वाराणसी |
| (3) वेतन लेखा कार्यालय, एस.एल.आई. फतेहगढ़ | (7) वेतन लेखा कार्यालय, डी. आर. सी. फैज़ाबाद |
| (4) प्रशासन-1ब अनुभाग (स्थानीय) | |

विषय: क्षे.प्र.के.लखनऊ प्रशिक्षण: अनुशासनात्मक कार्यवाही / शिकायतों / केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/
अदालती मामलों और निर्णय पर पाठ्यक्रम।

निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों को नीचे दिए गए व्यौरों के अनुसार दिनांक 17/10/2016 से 19/10/2016 तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया गया है:

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमति/कुमारी)	लेखा सं.	पदनाम	कार्यालय
1.	पी. के. जैन	8326395	व.ले.प.	वेतन लेखा कार्यालय, आर. आर. सी. फतेहगढ़
2.	अश्वनी कुमार मौर्या	8341636	व.ले.प.	वेतन लेखा कार्यालय, 11 जी.आर.आर.सी. लखनऊ
3.	जावेद	8341653	ले.प.	वेतन लेखा कार्यालय, 11 जी.आर.आर.सी. लखनऊ
4.	सुबोध कुमार	8326190	स.ले.अ.	वेतन लेखा कार्यालय, ए.एम.सी. लखनऊ
5.	चन्दन कुमार	8341590	SAS(A)	वेतन लेखा कार्यालय, ए.एम.सी. लखनऊ
6.	उपेन्द्र सिंह	8341459	व.ले.प.	मु.का., र.ले.प्र.नि. (म.क.) लखनऊ
7.	सौविक घोष	8347268	व.ले.प.	मु.का., र.ले.प्र.नि. (म.क.) लखनऊ
8.	आर. के. पासवान	8323737	व.ले.प.	वेतन लेखा कार्यालय, 39 जी.टी.सी. वाराणसी
9.	प्रमोद कुमार	8339276	व.ले.प.	वेतन लेखा कार्यालय, 39 जी.टी.सी. वाराणसी
10.	संजय कुमार	8324623	स.ले.अ.	वेतन लेखा कार्यालय, एस.एल.आई. फतेहगढ़
11.	अविनाश कुमार	8342017	व.ले.प.	वेतन लेखा कार्यालय, एस.एल.आई. फतेहगढ़
12.	नायला परवीन	8341656	ले.प.	वेतन लेखा कार्यालय, डी. आर. सी. फैज़ाबाद

2. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित कर्मचारियों के प्रशिक्षण की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी मंजूर नहीं की जाए।

७०५०३०

3. कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने कार्यालय से कार्य मुक्त करके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए।
4. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।

— ह. —

व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

प्रतिलिपि:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| (1) प्रशासन 1अ अनुभाग | : | सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। |
| ✓(2) स्वचलन कक्ष | : | कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। |
| (3) क्षे. प्र. के. लखनऊ | : | सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। |

व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)